संख्या-21/2016/929/2016/57-2016-7(5)/2015

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चित्रकूट, जालौन, वाराणसी, हमीरपुर,
झांसी एवं महोबा।

धर्मार्थ कार्य विभाग लखनऊ: दिनांक- 23 सितम्बर, 2016

विषय: प्रदेश में विलीनीकृत रियासतों की धार्मिक संस्थाओं के पुजारियों को वर्ष 2016-17 के वार्षिक अनुदान की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय आपके जनपद में विलीनीकृत रियासतों (परिवृत्त प्रदेश) की धार्मिक संस्थाओं के पुजारियों को वित्तीय वर्ष 2016-17 में बंधान (अनुदान) के भुगतान कुल रूपये 15,313.00 (रू0 पन्द्रह हजार तीन सौ तेरह मात्र) की धनराशि पार्श्वांकित विवरण के अनुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो के अन्तर्गत प्रदान करते है :-

1- हमीरपुर	810.00
2- झांसी	3545.00
3- चित्रकूट	3650.00
4- जालौन	828.00
5- वाराणसी	360.00
6- महोबा	6,120.00

(1) इस अनुदान की धनराशि का भुगतान वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के परिच्छेद 16(ए) में उल्लिखित शर्तो तथा वित्त (लेखा) विभाग के शासनादेश सं0- 1-238/दस-15(15)/83, दिनांक- 17 जनवरी, 1979 में संलग्न नियमावली में उल्लिखित नियमों के अनुसार किया जायेगा। अनुदान की धनराशि का भुगतान जिन पुजारियों को जिस दर से किया जाये उसका पूर्ण विवरण तथा उक्त हस्तपुस्तिका के प्रस्तर-369(एच) में इंगित निर्देशानुसार स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन तथा महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दिनांक- 31 मार्च, 2016 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-84 सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत, लेखाशीर्षक 2250-अन्य सामाजिक सेवायें-आयोजनेत्तर-102-धार्मिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तथा पूर्त अक्षय निधि अधिनियमों का प्रशासन-03-विलीनीकृत रियासतों के धर्मार्थ संस्थाओं के पुजारियों को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

3- इस धनराशि का आहरण तभी किया जाय, जब गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा दिया जाय।

भवदीय,
नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव।

संख्या-21/2016/929(1)/57-2016-7(5)/2015 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।

3- कोषाधिकारी, झांसी, हमीरपुर, चित्रकूट, जालौन, वाराणसी एवं महोबा।

4- आयुक्त, झांसी, चित्रकूट, वाराणसी मण्डल।

5- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-5/सामान्य प्रशासन अनुभाग।

आज्ञा से,
अशोक कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।